6.10.23 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रा०पत्र 07 नियम 11 पर बहस सुनी जानी। वास्ते आदेश दिनांक 09.10.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महुवा जिला दौसा

दिनांक: 09.10.2023

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। रेसपोन्डेट सं. 2, 3 व 5 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पेश किया। प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट दोनों की मीना समाज से ताल्लुक रखते है जिन पर हिन्दू विरासत अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत ठेकडा का नामान्तरकरण सं. 192 दिनांक 18.01.2007 उसके वारिसान के नाम सही भरा गया है। अपीलान्ट द्वारा जो अपील पेश की है वह विधि विरुद्व पेश की गई है जब अपीलान्ट स्वयं जानते है कि मीना समाज हिन्दू सक्शेसन एक्ट लागू नहीं होता है ऐसी स्थिति मे पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को हिस्सा उस स्थिति में ही मिल सकता है जब पिता के दाइन्दा दत्तक पुत्र नहीं है। स्व. विशम्भर दयाल के पुत्र कैलाशचंद व रमेश चंद है इस कारण अपील अपीलान्ट विधि द्वारा वर्जित है। अपीलान्ट ने अपील भी नामान्तरकरण तस्दीक होने के 16 वर्ष बाद पेश की गई है तो मियाद बाहर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया। जबाव में जाहिर किया है कि मीना समाज में ताल्लुक रखने वाली बात स्वीकार नहीं है। क्योंकि मीना जन जाति की प्राचीन रुढिया एवं प्रचलित मान्यताओं में मीना जन जाति की विवाहित

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

व अविवाहित महिलाओं को पिता की पैतृक सम्पति में विरासत के अधिकारों में जब तक कि महिला स्वेच्छा या पिता की पैतृक सम्पति में हक त्याग न करदे पुरुष सदस्यों के बरावर माना गया है एवं मीना जन जाति की महिला चाहे विवाहित हो या अविवाहित पैतृक सम्पति में समान उत्तराधिकारी है इसी रुढी एवं मान्यताओं के अनुसरण में नामान्तरकरण भरा गया है। अतः रेस्पोन्डेन्ट का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा नजीर 2021 आरबीजे 394 राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 06.4.2021 रतनवाई बनाम बत्तूलाल पेश की है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 – के प्रावधान मीणा जाति के व्यक्तियों पर लागू नहीं होते है। मीणा जाति में पुत्रियों को पिता को सम्पत्ति में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है लेकिन अगर पुत्र नही है तो पुत्रियों को पिता की सम्पति में अधिकार प्राप्त होते है। इसी प्रकार माननीय हाईकोर्ट के आदेश 01.02.2006 गुलाब बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य - Family-Benefits of Act-Whether the provisions of Hindu Succession Act,1956 was applicable to the member of the Scheduled Tribes! Held,widow after remarriage was not having and right over the land belonging to the husband and the married daughter was also not having any right over the ancestral property of th father.,
एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश दिनांक 09.12.2022 Kamla Neti (Dead)through L.Rs.Vs. The Special Land Acquisition Officer and Ors. --- Under the circumstances in view of Section 2(2) of Hindu Succession Act and the

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

Appellant being the member of the Scheduled Trive and as the female member of the Scheduled Trive is specifically excluded,the Appellant is not entitled to any right of survivorship under the provisions of Hindu Succession Act. No error has been committed by the High Court. The appeal therefore deserves to be dismissed and is according dismissed. पेश की है। बहस वकील फरीकेन सुनी गई। बहस के दौराने वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है एवं वकील अपीलान्ट द्वारा जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराया है। हमने वकील फरीकेन की वहस पर गहनता से मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में **पुत्रियों द्वारा 2007 में म्यूटेशन का हक चाहा जा रहा है। मीणा जाति में पैतृक आराजी में पुत्रियों का हक विधिक प्रश्न निहित है जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिंद्वान्त के अनुसार भी मीना जाति की महिलाओं को पैतृक आराजी में अधिकार प्रदान किया जाना भी संभव नहीं है। इस प्रकार** हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 – के प्रावधान मीणा जाति के व्यक्तियों पर लागू नहीं होते है। मीणा जाति में पुत्रियों को पिता को सम्पत्ति में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है लेकिन पुत्र नही है तो पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त होते है। बहस के दौरान यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट के सगे भाई है जो नियमानुसार हक प्राप्त करने के अधिकारी है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील विधि द्वारा वर्जित होना पाया जाता है। इस कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार योग्य है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है। एवं अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा पारित अपीलाधीन

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

आदेश में हम किसी प्रकार विधिक त्रुटि नहीं पाते है इसलिये आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उक्त विवेचन एवं नजीरो की रोशनी में अपील अपीलान्ट ग्राम धन्तूरी खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा